# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

| क्र.स. | अपील संख्या | अपीलार्थीगण का नाम | प्रत्यर्थी विभाग | अधिवक्ता |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04 / 2016 | रेखा गहलोत | 1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, (ग्रुप–1) सचिवालय, जयपुर।<br>2. अतिरिक्त निद्रेशक (प्रशासन) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।<br>3. प्राचार्य सरदार पटेल मेडिकल कोलेज, बीकानेर।<br>4. शासन सचिव वित विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। | 1. श्री संदीप विश्ना अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से<br>2. श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से। |
| 2. | 05 / 2016 | सुमिता तंवर | 1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, (ग्रुप–1), सचिवालय, जयपुर।<br>2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।<br>3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।<br>4. प्राचार्य, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, शास्त्री नगर, जोधपुर।<br>5. विभागाध्यक्ष (फिजियोलॉजी), डॉ. एस.एन मेडिकल कॉलेज, शास्त्री नगर, जोधपुर। | |
| 3. | 06 / 2016 | कविता पाहुजा | | |
| 4. | 38 / 2016 | सुनिता चौधरी | | |

**आदेश की दिनांक : 21 / 11 / 2024**

**समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

## आदेश

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायकित में अपील संख्या 04 / 2018 रेखा गहलोत की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त तालिका में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में निम्न अनुतोष चाहा है:–

"a. The impugned order dated 27.07.2017 qua the appellant issued by the respondent may kindly be quashed and set aside and;

b. If any recovery is made pursuant to the order dated 27.07.2017, the same may kingly be declared illegal and the said benefits recovered shall be given to the appellant.

c. The letter / order dated 01.03.2017 recommeding that the non medical teachers are not entitled for advance increments may kingly be declared illegal be quashed and set aside.

d. Appeal filed by the appellant may also kindly be allowed with costs.

e. Any other order, which this learned tribunal deems fit may kindly be passed in favour of the appellant."

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.07.2017 एवं दिनांक 01.03.2017 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी के प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकृत तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.03.2017 के अनुसरण में आदेश दिनांक 27.07.2017 द्वारा वापस लेने की कार्यवाही की गई। अन्य अपीलार्थी सुमिता तंवर एवं कविता पाहुजा को स्वीकृत अग्रिम वेतन वृद्धि को आदेश दिनांक 27.07. 2017 द्वारा एवं सुनिता चौधरी के आदेश दिनांक 16.02.2022 द्वारा प्रत्याहरित किये गये।

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.06.2007 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर वरिष्ठ प्रदर्शक एनाटॉमी के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ता ने दिनांक 07.06.2007 को मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में सीनियर डेमोस्ट्रेटर एनाटॉमी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया (अनुलग्नक 1 एवं 2)। अपीलार्थी की सेवाएँ राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम 1962 से संचालित होती हैं, जिन्हें संक्षेप में आगे नियम 1962 कहा गया है। नियम 1962 में प्रावधान है कि सेवाओं के वेतन/भत्ते और अन्य शर्ते राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन नियम) नियम 1961 द्वारा विनियमित होंगी, जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया है। राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 यहां प्रासंगिक हैं, जिन्हें संक्षिप्तता के लिए आगे नियम 2008 कहा गया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 (अनुलग्नक–3) के माध्यम से नियम 2008 के नियम 22–ए में यह प्रावधान किया है कि सरकारी कर्मचारी 2008 के नियमों में संलग्न अनुसूची– VI में दिए गए संशोधित वेतन के साथ अग्रिम वेतन वृद्धि का हकदार होगा। इसके बाद राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम अनुभाग) ने 2008 के नियमों में संशोधन करते हुए पुनः दिनांक 27.09.2013 को अधिसूचना जारी की तथा अनुसूची 6 में क्रमांक 1 के समक्ष कॉलम IV में विद्यमान खण्ड–।।। के पश्चात् निम्नलिखित नवीन खण्ड प्ट जोड़ा गया। जिसके अनुसार ऐसे चिकित्सा अधिकारी/ सीनियर डेमोस्ट्रेटर जिन्होंने दिनांक 06.05.2002 से 30.06.2013 तक की अवधि में चिकित्सा या शल्य चिकित्सा की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष डिप्लोमा प्राप्त किया हो तथा उच्च पद पर पदोन्नत भी हुए हों, उन्हें स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने की तिथि से काल्पनिक आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी तथा उनका वेतन उच्च पद पर काल्पनिक आधार पर निर्धारित किया जाएगा तथा वास्तविक भुगतान दिनांक 01.07.2013 से किया जाएगा। अधिसूचना दिनांक 27.09.13 की प्रति अनुलग्नक 4 पर उपलब्ध है। पीएचडी की योग्यता प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी को नियम 1962 के नियम 24–ए के तहत सहायक प्रोफेसर नियुक्त किया गया और

तदनुसार उसके बाद राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 30.08.2012 द्वारा अपीलार्थी को सहायक प्रोफेसर एनाटॉमी के पद पर नियुक्त किया। नियम 2008 के नियम 24 के तहत सहायक प्रोफेसर का पे बैंड अपीलार्थी को दिया गया था और दिनांक 06.09.2014 से काल्पनिक वेतन निर्धारण किया गया था (अनुलग्नक–5)। इसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 28.06.2013 और दिनांक 27.09.2013 की अधिसूचना के अनुसरण में दिनांक 28.03.2014 को आदेश जारी किया गया और यह प्रावधान किया गया कि सीनियर डेमोस्ट्रेटर, जिन्होंने दिनांक 06.05.2002 से 30.06.2013 की अवधि के दौरान चिकित्सा और शल्य चिकित्सा की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और उच्च पद पर पदोन्नत हुए हैं, वे काल्पनिक आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार हैं और इसका वास्तविक भुगतान दिनांक 01.07.2013 से स्वीकार्य है। तदनुसार अपीलार्थी और अन्य उम्मीदवारों को क्रमशः पीएचडी डिग्री प्राप्त करने की तिथि से काल्पनिक आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई। तदनुसार अपीलार्थी का वेतन संशोधित किया गया तथा दिनांक 01.07.2013 से वास्तविक भुगतान किया गया, परन्तु उपरोक्त आदेश जारी करने और तदनुसार लाभ जारी करने के तीन साल बाद प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 27.07.2017 जारी किया, जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या–1 के दिनांक 01.03.2017 के पत्र के अनुसरण में निर्णय लिया गया कि गैर–चिकित्सा डॉक्टर अपनी पीएचडी पूरी करने पर अग्रिम वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि के लिए हकदार नहीं हैं। चूंकि अपीलार्थी को उसकी पीएचडी के प्रकाशन के बाद काल्पनिक आधार पर तीन वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि दी गई है और वास्तविक भुगतान दिनांक 01.07.2013 से किया गया था। इसलिए दिनांक 27.08.2010 से 30.06.2017 की अवधि के लिए दिए गए वेतन वृद्धि और लाभ त्रुटिपूर्ण मानते हुए तदनुसार अपीलार्थी के वेतन को संशोधित ६ कम कर दिया गया है। इसके अलावा दिनांक 01.07.2013 से 28.02.2017 तक किए गए अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई। दिनांक 01.03.2017 का पत्र (अनुलग्नक–7) प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक 28.06.2013 के संबंध में जारी किया गया है। परिपत्र के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि राज्य सरकार ने चिकित्सा अधिकारी ६ डेमोस्ट्रेटर को अग्रिम वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि की अनुमति दी है और परिपत्र के अंतर्गत पद के नाम को संदर्भित करने वाले कॉलम में विशेष रूप से सीनियर डेमोस्ट्रेटर (गैर–क्लीनिकल) शामिल है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.07.2017 को अपास्त किया जाकर उसके अनुसरण में कोई वसूली की जाती है, तो उसे अवैध घोषित किया जावे एवं दिनांक 01.03.2017 का पत्रध्आदेश जिसमें गैर–चिकित्सा शिक्षक अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार नहीं माना हैं, अवैध घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 27.07.2017 का आदेश वित्त विभाग से सहमति लेने के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 01.03.2017 के अनुसार जारी किया गया था। यह भी निवेदन किया कि दिनांक 01.07.2013 से दिनांक 28.02.2017 तक की अवधि के लिए अपीलार्थी से कोई वसूली शुरू नहीं की गई है। आदेश दिनांक

27.07.2017 के अनुसार स्पष्टीकरण जारी करने उ की तिथि यानी 01.03.2017 के बाद से वसूली का आदेश है। अपीलार्थी राज्य सरकार की सेवा में सीनियर डेमोस्ट्रेटर (गैर–क्लिनिकल) के पद पर कार्यरत है। उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.03.2017 को जारी स्पष्टीकरण के क्रम में जारी किया गया है, जिसके तहत यह निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार की सेवाओं में गैर–चिकित्सा डॉक्टर पीएचडी पूरी करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि पाने के हकदार नहीं हैं। जहां तक दिनांक 28.06.2013 की अधिसूचना में सीनियर डेमोस्ट्रेटर (गैर–क्लिनिकल) को शामिल करने का सवाल है, यह निवेदन है कि चिकित्सा शिक्षा (कॉलेजिएट शाखा) नियमों के तहत, सीनियर डेमोस्ट्रेटर के रूप में सेवा की दो शाखाएं हैं। एक है क्लिनिकल अस्पताल सेवाओं के लिए है और दूसरा गैर नैदानिक पक्ष है। केवल पीएचडी की डिग्री होना किसी गैर–क्लिनिकल व्यक्ति को अग्रिम वेतन वृद्धि पाने का अधिकार नहीं देता है, जबकि 28.06.2013 की अधिसूचना में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ डेमोस्ट्रेटर जिनके पास चिकित्सा या शल्य चिकित्सा की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा है, वे अग्रिम वेतन वृद्धि पाने के हकदार होंगे। इसके अलावा, पीएचडी डिग्री मुख्य रूप से गैर–क्लिनिकल गैर–चिकित्सा व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। 28.06.2013 की अधिसूचना की एक प्रति अनुलग्नक आर्ध1 पर उपलब्ध है। वित्त विभाग के परामर्श अनुसार गैर–चिकित्सा शिक्षक जिन्होंने पीएचडी डिग्री प्राप्त की है, वे अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार नहीं हैं और यह बात दिनांक 27.07.2017 के आदेश में भी स्पष्ट रूप से कही गई थी, जिसके तहत अपीलार्थी के वेतन निर्धारण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा संशोधन किया गया था। यहां यह उल्लेख करना भी अनुचित नहीं होगा कि अपीलार्थी को दिनांक 09.05.2012 (पीएचडी डिग्री प्राप्त करने की तिथि) से दिनांक 30.06.2013 तक अग्रिम वेतन वृद्धि का काल्पनिक लाभ दिया गया था एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस अवधि के लिए कोई वसूली शुरू नहीं की गई है, लेकिन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ वापस लेने के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी विभाग ने तीन वेतन वृद्धि की कटौती की है और तदनुसार अपीलार्थी का वेतन तय किया गया है। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वेतन का उचित निर्धारण सही तरीके से किया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को उसके द्वारा पीएचडी (डॉक्टर ऑव् फिलॉसफी) एनॉटॉमी (मेडिसिन) की उपाधि मई 2012 में अर्जित करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2014 (अनुलग्नक–6) द्वारा वित्त विभाग (नियम अनुभाग) की अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 (अनुलग्नक–3) एवं अधिसूचना दिनांक 27.09.2013 (अनुलग्नक–4) की अनुपालना में पीएचडी किये जाने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई। जिसे बाद में आलोच्य आदेश दिनांक 27.07.2017 (अनुलग्नक–8) द्वारा वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आधार पर चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.03.2017 के आधार पर स्वीकृत तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ को प्रत्याहरित किया गया। प्रस्तुत अपील में पूर्व में स्वीकृत लाभ बहाल किये जाने का मुख्य रूप से अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अधिसूचना दिनांक 28.06.2013

(अनुलग्नक–3) का प्रासंगिक अंश जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के संबंध में लागू होता है, नीचे उद्धत किया जा रहा है:–

| .No. | NAME OF THE POST | Grade pay | Advance Increments |
|---|---|---|---|
| | Medical & Health Departmer<br><br>(i) Rajasthan Medical Service(Collegiate Branch) Senior Demonstrator (Non-Clinical)<br>(ii) Rajasthan Medical & Health Service (General Branch) Medical Officer | <br><br>5400/-<br><br>5400/- | For post graduate degree or equivalent diploma in any branch of Medicine or Surgery:-<br><br>(i) Fresh recruits shall be allowed three non compunded advance increments.<br>(ii) Those who have already required these qualifications while in service shall be allowed three non compunded advance increments.<br>(iii) These provisions shall not be applicable to those who have already availed benefit of higher initial pay/advance incrments in accordance with the provisions in force prior 06.05.2002." |

साथ ही वित्त (नियम अनुभाग) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.2013 के प्रासंगिक अंश को भी नीचे उद्धत किया जा रहा है:–

"3. In the Rajasthan Civil services (Revised Pay) Rules, 2008-In Schedule-VI-

(i) after existing item (iii) appearing in column 4 against S.No. 1, the following new item (iv) shall be inserted namely :-

"(iv) The medical Officer/Senior Demonstrator who have acquired Post Graduate Degree or equivalent Diploma in any branch of Medicine or Surgery during the period from 06.05.2002 to 30.06.2013 and also promoted on higher post shall be allowed two advance increments on notional basis from the date they acquired Post Graduate Degree or equivalent Diploma and their pay shall be fixed on the higher post on notional basis, on the basis of notional pay as. Medical Officer / Senior Demonstrator as a result of grant of two advance increments and actual payment shall be made from 01.07.2013."

उक्त अधिसूचनाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि मेडिसन या सर्जरी की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा धारित करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि

का प्रावधान किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार 01.03.2017 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 के संबंध में

निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है और इसके आधार पर आलोच्य आदेश दिनांक 27.07.2013 द्वारा अपीलार्थी को स्वीकृत तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों को निरस्त कर संशोधित वेतन निर्धारण किया गया।

प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 01.03.2017 द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था दी है:–

''उपरोक्त विषय में लेख है कि नॉग क्लिनिकल विशिष्ठताओं में कार्यरत नॉन मेडिकल चिकित्सक शिक्षकों को पीएच.डी. उत्तीर्ण करने पर अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृ ती के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन बाबत मेडिकल कॉलेजों द्वारा समय–समय पर प्रत्रादि शासन को प्रेषित किये जाते रहे है। प्रकरण में इस विभाग द्वारा वित (नियम) विभाग से उचित मार्गदर्शन चाहा गया। वित्त (नियम) विभाग ने उनके आई.डी. क्रमांक 101700651 दिनांक 21.2.2017 के द्वारा प्रकरण में टिप्पणी प्रदत्त की है। कि "As per provisions containing in FD Notification No. F. 14(1)FD/R/2013 -III dated 28-6-2013, Non-Medical Teachers are not entitled to three advance increments on acquiring Ph.D. Degree. These increments are admissible only for acquiring post graduate degree or equivalent diploma in any branch of medicine or surgery to Medical Officers/Sr. Demonstrator (Non-Clinical) possessing degree of MBBS.

अतः ऐसे प्रकरणों में उपर्युक्त टिप्पणी अनुसार कार्यवाही करें।''

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि पत्र दिनांक 01.03.2017 में इसको भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी किये जाने का अंकन नहीं है। अतः उसके आधार पर पूर्व में स्वीकृत वेतन वृद्धि को वापस नहीं लिया जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने पीएचडी की डिग्री अर्जित की है, जो स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा से उच्चतर है। अतः पूर्व में स्वीकृत की गई वेतन वृद्धि नियमानुसार है। इस अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 में सीनियर डेमोस्ट्रेटर (गैर–क्लिनिकल) को निर्धारित योग्यता प्राप्त करने में अग्रिम वेतन वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि एमबीबीएस डिग्रीधारी सीनियर डेमोस्ट्रेटर (गैर–क्लिनिकल) को ही अग्रिम वेतन वृद्धि देय होगी। पत्र दिनांक 01.03.2017 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी विभाग का बहस में यह कथन रहा है कि पूर्व में वेतन वृद्धि वित्त विभाग की अधिसूचना अनुसार स्वीकृत की गई हैं और वित्त विभाग के स्पष्टीकरण के पश्चात अग्रिम वेतन वृद्धि एमबीबीएस योग्यताधारी मेडिकल ऑफिसर अथवा सीनियर डेमोस्ट्रेटर जो स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा धारित करते हैं, को ही देय होने से अपीलार्थी को पूर्व में स्वीकृत अग्रिम वेतन वृद्धियां वापस ली हैं जो नियमानुसार होने से अपील खारिज योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान मेडिकल सर्विस (कॉलेजियट ब्रांच) सीनियर डेमोस्ट्रेटर (गैर–क्लिनिकल) एवं राजस्थान मेडिकल एवं हेल्थ सर्विस (जनरल ब्रांच) मेडिकल ऑफिसर को मेडिसन या सर्जरी की किसी भी ब्रांच में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा धारित करने पर

अग्रिम वेतन वृद्धि का प्रावधान है। इसमें एक एमबीबीएस योग्यताधारी सीनियर डॅमोस्ट्रेटर (गैर–क्लिनिकल) को अग्रिम वेतन वृद्धि देय करने के एवं शेष को देय नहीं होने के संबंध में स्पष्टता नहीं है। बाद में वित्त विभाग से परामर्श कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.03.2017 से स्पष्ट कराया गया है कि मेडिकल ऑफिसर अथवा सीनियर डेमोस्ट्रेटर (गैर–क्लिनिकल) जो एमबीबीएस की डिग्री धारित करते हैं उनको ही स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा धारित करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत होगी। गैर–चिकित्सा अध्यापकों को पीएचडी की डिग्री धारित करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि हेतु पात्र नहीं है। जिसके आधार पर अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत अग्रिम वेतन वृद्धियां वापस ले ली गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि इन समस्त प्रकरणों में अपीलार्थीगण नॉन मेडिकल सीनियर डेमोस्ट्रेटर (गैर–क्लिनिकल) के पद पर नियुक्त हुए हैं एवं उनको अग्रिम वेतन वृद्धि पीएचडी डिग्री प्राप्त करने पर स्वीकृत की गई है। जिसे बाद में प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 01.03.2017 के अनुसरण में प्रत्याहरित कर पुनः वेतन नियतन किया गया। समस्त अपीलार्थीगण द्वारा पीएचडी की डिग्री हासिल करने, अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृति एवं प्रत्याहरित कर संशोधित वेतन नियतन करने संबंधि आदेश का विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र. सं. | अपीलार्थी का नाम | पीएचडी डिग्री की तिथि | काल्पनिक आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृति की तिथि | अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृति आदेश दिनांक | अग्रिम वेतन वृद्धि प्रत्याहरित करने का आदेश दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रेखा गहलोत | मई 2012 | 09.05.2012 | 28.03.2014 | 27.07.2017 |
| 2 | सुमिता तंवर | 02.08.2010 | 02.08.2010 | 28.03.2014 | 27.07.2017 |
| 3 | कविता पाहुजा | 25.10.2010 | 27.08.2010 | 28.03.2014 | 2527.07.2017 |
| 4 | सुनिता चौधरी | 25.03.2015 | 25.03.2015 | 25.03.2015 | 16.02.2022 |

अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 एवं 27.09.2013 में मेडिसन या सर्जरी की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा की दशा में अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का प्रावधान है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि जो सीनियर डेमोस्ट्रेटर (गैर–क्लिनिकल) जो एमबीबीएस की डिग्री नहीं धारित करते हैं, उनके द्वारा पीएचडी किये जाने पर उन्हें एमबीबीएस के समकक्ष माना जाता है। यद्यपि उसके द्वारा इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज या नियम अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका तर्क मानने की दशा में सीनियर डेमोस्ट्रेटर जो एमबीबीएस की डिग्री धारित नहीं करते हैं उनके द्वारा पीएचडी करने पर उन्हें एमबीबीएस के समकक्ष माना जाने की दशा में उनको स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा धारित कैसे माना जा सकता है? साथ ही अधिसूचना में अग्रिम वेतन वृद्धि स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा धारित करने की दशा में ही स्वीकृत करने का प्रावधान है। अपीलार्थी को पीएचडी की डिग्री अर्जित करने पर स्वीकृत अग्रिम वेतन

वृद्धि स्वीकृत करना अधिसूचना दिनांक 28.08.2013 एवं दिनांक 27.09.2013 के अनुरूप नहीं थी। क्योंकि इन अधिसूचनाओं में पीएचडी डिग्री धारित करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृति का स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी दशा में हमारा यह मानना है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकृत अग्रिम वेतन वृद्धि को निरस्त करने हेतु की गई कार्यवाही पूर्णतः नियमानुसार है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

जहां तक अपीलार्थीगण से वेतन नियतन संशोधन के कारण अधिक भुगतान राशि की वसूली का प्रश्न है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब में स्पष्ट किया है कि दिनांक 28.02.2017 तक की अवधि के संबंध में कोई वसूली नहीं की जा रही है एवं स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 01.03.2017 के पश्चात की अवधि के संबंध में वसूली कार्यवाही की जायेगी। अपीलार्थी को अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत करने में अपीलार्थी की तरफ से कोई गलत तथ्य प्रस्तुत करना नहीं पाया जाता। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने स्तर से अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत करने एवं अपीलार्थी के द्वारा कोई त्रुटि या गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं करने का कारण अपीलार्थीगण से दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 01.03.2017 से पूर्व अधिक भुगतान की गई राशि की प्रत्यर्थी विभाग ने वसूली अनुज्ञेय नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग ने इसे अपने जवाब में स्वीकार किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 01.03.2017 एवं उसके आधार पर पूर्व में स्वीकृत अग्रिम वेतन वृद्धि को प्रत्याहरित कर संशोधित वेतन नियतन की कार्यवाही नियमानुसार होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है, परन्तु अपीलार्थीगण से दिनांक 01.03.2017 से पहले अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्योंकि गलत अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृति में अपीलार्थीगण का कोई दोष/दायित्व नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण को अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृति के फलस्वरूप दिनांक 01.03.2017 से पूर्व भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली नहीं की जावे। यदि कोई वसूली की गई है तो ऐसी राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित अपीलार्थीगण को लौटाई जावे। शेष अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 04ध्2018 में एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**